२५.५.१६	वकील उभयपक्ष उप० । बहस को समय चाहते हैं। अतः बहस हेतु पत्रावली दि० १७.६.१६ को पेश हो। T.I. आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है।
१७.६.१६	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैत्रक भूमि रही है जो वर्तमान मे प्रार्थीगण के पिता लोढ़े की खातेदारी में दर्ज है परन्तु प्रार्थीगण का भूमि मे जन्म से ही अधिकार है। अप्रार्थी सं० 1 पारिवारिक आवश्यकताओं के बिना ही भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे वे वादग्रस्त भूमि को रहन, क्रय नहीं करें। अप्रार्थी सं० 1 के वकील ने अपनी बहस मे बताया कि अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं भूमि पर उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूमि अप्रार्थी की स्वयं की है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं० 2 को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 C.P.C. का नोटिस नहीं दिया है। प्रार्थीगण का दावा ही बाद बाई ला है एवं यह T.I. प्रा०पत्र भी खारिज होने योग्य है। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रथम दृष्टया पैत्रक प्रतीत होती है परन्तु इस बिन्दु का निर्धारण मूल वाद मे ही होना है। वर्तमान परिस्थिति मे कब्जे की स्थिति देखी जानी है जो पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में हम यह उचित समझते हैं कि वादग्रस्त भूमि की मौका व रेकार्ड की ताफैसला दावा यथास्थिति बनाए रखी जावे।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अतः उभयपक्षकारों को वादग्रस्त भूमि ख०नं० 483, 2105/484, 2106/1050, 2107/1123, 1685 ग्राम टोकसी की मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु मूल वाद के निर्णय तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	